


आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 66/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)  
रिलायंस एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पता- 11 वी. फ्लोर, नोर्थ साईड, वेस्टर्न एक्सप्रेस  
हाईवे, गौरेगांव(पूर्व) मुम्बई महाराष्ट्र ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती राजकुमारी देवी पत्नी श्री मान सिंह
2. विशाल बुनकर पुत्र श्री मान सिंह बुनकर  
पता-प्लॉट नम्बर -51 स्थित श्याम नगर, नारदपुरा रोड, आमेर, जयपुर ।
3. उदय सिंह पुत्र श्री राम पाल सिंह  
पता-प्लॉट नम्बर 159, बजरंग विहार-बी, नारदपुरा रोड, आमेर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002


उपस्थित:-

1. श्री मनोहर सिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 20.05.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने दिनांक 18.02.2017 को अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री मान सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 51, स्थित श्याम नगर, नारदपुरा रोड, आमेर जयपुर क्षेत्रफल 81 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 2,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया ।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 2,50,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने

  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (आगीण)



से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 6,51,910/-रुपये जगा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.08.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जबाब दिया गया है जिसका प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री मानसिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 51, स्थित श्याम नगर, नारदपुरा रोड, आमेर जयपुर क्षेत्रफल 81 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्ट) जयपुर (ग्रामीण)